न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)
पीठासीन अधिकारी :— श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :— 03/2022
प्रकरण दर्ज तिथि :— 15.02.2022

अकबर काठात पुत्र श्री पीरू काठात, उम्र 60 वर्ष, जाति–मेहरात, निवासी–आम्बा का बाडीया, चिताड तहसील– रायपुर, जिला–पाली *अपीलार्थी*

बनाम

1. शान्ति पत्नि श्री बाबु, उम्र–61, जाति मेहरात, निवासी चिताड तहसील रायपुर हाल निवासी 170, रिको एरिया पुर रोड बापु नगर भीलवाडा जिला भीलवाडा राज.
2. हजारी पुत्र श्री भोमा, उम्र–70 वर्ष, जाति मेहरात, निवासी राजु जी का बाडिया चिताड तहसील रायपुर जिला पाली राज.
3. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर (तहसीलदार) रायपुर तहसील कार्यालय, रायपुर जिला पाली राज.
4. संरपच ग्राम पंचायत चिताड पचायत समिति रायपुर तहसील रायपुर *प्रत्यार्थीगण*

अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर. एक्ट विरूद्व नामान्तकरण संख्या 1995 दिनांक 20.08.2021

उपस्थितः— 1 श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता अपीलान्ट
2 श्री भूपेन्द्र सैन अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक :— 14.05.2022

अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता श्री जसवंत सिंह सांखला ने अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर. एक्ट विरूद्व नामान्तकरण संख्या 1995 दिनांक 20.08.2021 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्ट न्यायालय में पेश किया गया है। अपील का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा चिताड पटवार हल्का चिताड, भू. अभि. नि. क्षैत्र सेन्दडा तहसील रायपुर जिला पाली राज. के खसरा सं. 4619 रक्बा 0.5818 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भुमि आई हुई हे। उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे प्रार्थना पत्र मे वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा तथा जमाबंदी संवत 2074–2077 एवं नामान्तरण संख्या 1995 की प्रमाणित प्रति अपील के साथ पेश है जिसे अपील का आवश्यक भाग माना जावें। वर्णीत आराजीयात मे प्रत्यार्थीगण के नाम सहखातेदार के रूप मे दर्ज रेकर्ड था। प्रत्यार्थी सं. 1 का 1/24 तथा प्रत्यार्थी सं. 2 का 1/6 वा हिस्सा दर्ज रेकर्ड है। प्रत्यार्थी सं. 1 व 2 ने अपना दर्ज सम्पुर्ण हिस्से को दिंनाक 18/03/2021 को जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज बेचाननामा अपीलार्थी के पक्ष मे कर दिया जो उपंपजीयन कार्यालय सेन्दडा के पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 27 मे पृष्ट सं. 172 क्रम सं. 202103290100196 पर पंजीबद्व किया हुआ हैं तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द सं. 88 के पृष्ट सं. 226 से 236 पर चस्पा किया हुआ है बेचाननामा की प्रमाणित प्रति अपील के साथ पेश है। उक्त बेचाननामा अनुसार खातेदार प्रत्यार्थीगण के द्वारा अपने सम्पुर्ण हिस्से का बेचान् अपीलार्थी को करने से अपीलार्थी द्वारा उक्त बेचाननामा अनुसार नामान्तरण भरवाने हेतु रजिस्ट्री की फोटो प्रति पटवारी हल्का महोदय को दी जिस पर हल्का पटवारी महोदय ने नामान्तरण सं. 1995 बेचाननामा अनुसार भरा गया एवं भु. अभि. निरि. ने पंजिबद्व बेचान एवं जमाबन्दी के मिलान किया सही पाया की रिर्पोट की गयी जिस पर हल्का पटवारी ने बेचाननामा का नामान्तरण स्वीकृत हेतु अधिनस्थ न्यायलय ग्राम पंचायत चिताड मे पेश किया जिस पर संरपच द्वारा अपीलार्थी से

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

राजनैतिक द्वेष भावना रखते हुए उक्त नामान्तरण को पहले स्वीकृत कर उसे काट कर अस्वीकृत कर दिया। उक्त आदेश गलत किया गया है। जो काबिल खारीज योग्य है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी मे नामान्तरण सं. 1995 भरते समय तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा पंजीयन दस्तावेज की जॉच सही की जाकर नामान्तरण भरा गया जिस पर भु. अभि. निरि. ने दस्तावेज एवं जमाबन्दी की जॉच किये रजिस्ट्री दस्तावेजों से जॉच किया अंकन सही पाया का नोट लगा दिया जो सही है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने भी बिना जॉच किये उसे अस्वीकृत कर दिया जबकि अधिनस्थ न्यायलय को नामान्तरण अस्वीकृत करने का कोई हक अधिकार नही था। अधिनस्थ न्यायलय द्वारा पारित नामान्तरण मे पारित आदेश काबील खारीज है। अपीलार्थी केवल मात्र साक्षर है उसने कभी भी राजस्व रेकर्ड का अवलकोकन नही किया। अपीलार्थी द्वारा खरीद दिनांक से उक्त भुमि पर अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के काश्त कर रहे है प्रत्यार्थीगण का बेचान के बाद कभी उक्त भुमि पर कोई कब्जा काश्त नही रहा है एंव ना वर्तमान मे है। वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलार्थी अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है। अपीलार्थी हमेशा इसी सद्विष्वास मे रहा के वादग्रस्त आराजीयात में उसका भी नाम अंकित हो गया व चला आ रहा है। इसी कारण उन्होनें कभी राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने का प्रयास नही किया। अब अपीलार्थी को पेंसो की जरूरत होने पर बैंक गये तब अपीलार्थी को जानकारी हुई कि जमाबन्दी की खातेदारी मे उनका नाम दर्ज नहीं हैं उक्त जानकारी होने पर उन्होने राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की तब उन्हे यह ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी का नाम दर्ज नहीं है अपीलार्थी का नाम दर्ज होने से रह जाने से उनको भारी समस्या का सामना करना पड रहा है जिस कारण उक्त नामान्तरण 1995 मे पारित अस्वीकृत आदेश को खारीज किया जाकर नये सिरे से जॉच की जाकर नामान्तरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक होने के कारण उक्त अपील पेश कि जा रही है। अधिनस्थ न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत चिताड, पंचायत समिति रायपुर, जिला पाली ने अपीलाधीन आदेश पारित करने मे घोर विधिक एवं तथ्यात्मक भुल की है। यह नामान्तरण पटवारी हल्का चिताड भु अभिलेख निरीक्षक चिताड से जाच मे सही पाया परन्तु सरपंच ग्राम पंचायत चिताड ने आपसी द्वेशता एवं राजनैतिक द्वेषता रखते हुए भरा नामान्तरण बिना जॉच किये अस्वीकृत का आदेश कर दिया जो आदेश काबिले अपास्त के है। यह है कि प्रत्यार्थी 1 व 2 का नाम राजस्व रेकर्ड मे होने से अपीलार्थी द्वारा उनसे खरीद करने पर एवं हितबद्व पक्षकार होने से उनको पक्षकार बनाया है। तथा प्रत्यार्थी सं. 3 राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया है।अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है तथा ग्राम चिताड पटवार हल्का चिताड मे होने से श्रीमान के क्षेत्राधिकार मे है। अतः अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि अपीलार्थी की अपील को स्वीकार फरमाकर अपीलाधीन नामान्तरण ग्राम चिताड पटवार हल्का चिताड के नामान्तरण सं. 1995 मे पारित संरपच ग्राम पंचायत चिताड के द्वारा पारित आदेश अस्वीकृत को निरस्त करने का आदेष पारित करे तथा पटवारी हल्का चिताड तहसील रायपुर, जिला पाली को निर्देश फरमावे कि प्रत्यार्थीगण द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज बेचाननामा अपीलार्थी के पक्ष मे कर दिया जो उपंपजीयन कार्यालय सेन्दडा के पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 27 मे पृष्ट सं. 172 क्रम सं. 202103290100196 पर पंजीबद्व किया हुआ हैं तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द सं. 88 के पृष्ट सं. 226 से 236 पर चस्पा किया गया है उसकी जांच कर नियमानुसार नामान्तरण पुनः भरने के आदेश करावें।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर्ड की गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से श्री भूपेन्द्र सैन अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना जबाव प्रस्तुत किया । रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अपने जबाव में अपील स्वीकार करने की अपनी सहमति प्रदान की। वकील अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट से अपील पर बहस सुनी एंव दिये गये तर्को का मनन व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गहनतापूर्वक अवलोकन करने पर नामान्तकरण संख्या 1995 दिनांक 20.08.2021 को निरस्त (रद्व) किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

अपील अपीलान्ट स्वीकार कर ग्राम पंचायत चिताड द्वारा निस्तारित नामान्तकरण संख्या 1995 दिनांक 20.08.2021 को अपास्त किया जाकर ,तहसीलदार रायपुर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता हैं कि नामान्तकरण के संबंध में विस्तृत जांच कर नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। तहसीलदार रायपुर को आदेश तहरीर के साथ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 14.05.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)